Export of Basmati Rice

*162. SHRI K. RAHAMAN KHAN: Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have fixed minimum price for export of basmati rice to the European Union;

(b) if so, the estimated quantity of basmati rice to be exported during 2002-2003; and

(c) the other varieties of rice to be permitted/promoted by Government for export from Karnataka and Andhra Pradesh?

THE MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI SHANTA KUMAR): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The Government has not fixed any minimum price for the export of basmati rice to the European Union.

(b) Does not arise.

(c) The export of non-basmati rice is free. The requirement of registration of contracts with the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) for the export of non-basmati rice has also been recently done away with.

SHRI K. RAHMAN KHAN: Mr. Chairman, Sir, the answer to part (b) of my question has not been given. It has been stated in the reply that "the export of non-basmati rice is free." There is no restriction on the export of non-basmati rice. I would like to know from the hon. Minister whether the Government has imposed any restriction on the export of basmati rice. As the minimum price has not been fixed, I would like to know from the hon. Minister as to, at what price the basmati rice is being exported. Besides European countries, which are the other countries which are importing the basmati rice?

श्री शांता कुमार: सभापति जी, इसका उत्तर तो दे दिया गया है। बासमती राइस एक्सपोर्ट

करने पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ फोरमेलिटीज हैं कि उनको 'अपीडा' के साथ अपने आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ता है और रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद वे पूरा एक्सपोर्ट कर सकते हैं।

SHRI K. RAHMAN KHAN: Mr. Chairman, Sir, my second supplementary is this. Has the trade mark on basmati been registered in the US? If so, what action has been taken by the Government of India about the basmati trade mark, which is India's own patent.

श्री शांता कुमार: सभापति जी, पेटेंट के संबंध में बहुत से देशों में बहुत से मामले हैं। भारत सरकार ने एक बासमती डेवलपमेंट फंड बनाया हुआ है और उस फंड को हम इसी बात के लिए खर्च करते हैं। इस समय लगभग 39 देशों में 40 केसिस पेटेंट के खिलाफ भारत लड़ रहा है और उनमें से एक प्रसिद्ध केस 'राइस टैक' का था, जिसको भारत ने जीत लिया है। अन्य देशों में भी, जहां पर भारत के हितों के विरुद्ध कोई पेटेंट हो रहा है। उसके खिलाफ वहां पर जो भी कानून हैं, उन कानूनों की प्रक्रिया के अंतर्गत हम मुकदमे लड़ रहे हैं। एक 'राइस टैक' का केस हमने जीत लिया है, अन्य देशों में भी भातर के हितों के लिए कार्रवाई की जा रही है।

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Mr. Chairman, Sir, my question is about the rice other than basmati rice. Though our godowns are flooded with surplus stocks, it is ironical that our purchasing capacity is very low. We are unable to sell it to our own people; the only alternative is to export it. Mr. Chairman, Sir, the productive capacity of our farmers is very low. That is why they are unable to compete in the international market. Secondly, Sir, the conventional buyers, who used to purchase foodgrains from our country, have become self-reliant. Every country has started addressing its global needs. In this scenario, like the farmers in America and European countries, who are getting a lot of subsidy,—unless our Government provides subsidy to the farmers, it is the production-linked subsidy that I am advising, and not the consumption-linked subsidy—it would be difficult for the farmers to dispose of their agricultural produce. The productivity cannot be increased overnight. it is very difficult to enhance the purchasing capacity of 70% of the population living below the poverty line. Therefore, unless the Government provides subsidy, the surplus foodstocks cannot be disposed of. Of course, we should be thankful to the Government for introducing the Food-for Work Scheme, for which some withdrawals have been made. I would like to know from the hon. Minister whether the Government is

planning to provide sufficient subsidy to our farmers till they are able to compete in the international market.

श्री शांता कुमार: सभापति जी, जहां तक सब्सिडी का सवाल है, पर्याप्त सब्सिडी दी जा रही है और इस साल जो हमारा फूड सब्सिडी का बिल है वह 12-13 हजार करोड़ से बढ़कर लगभग 20-21 हजार करोड़ तक पहुंच रहा है। जो जहां आवश्यक है, उसे देने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे भंडार भरे पड़े हैं और उन भंडारों का उपयोग देश में आम लोगों के लिए किया जा रहा है। ड्राउट में 'फूड फार वर्क' कार्यक्रम के लिए इस समय तक 39 लाख टन अनाज हम विभिन्न प्रदेशों को दे चुके हैं। अन्य स्कीमों में भी भारत सरकार ने गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए अनाज का आवंटन 10 किलो से बढ़ाकर 25 किलो कर दिया है। अंत्योदय अन्न योजना में 95 लाख गरीब परिवारों को आज हम 25 किलो अनाज, 2 रुपए प्रति किलो गेहूं और 3 रुपए प्रति किलो चावल के रेट पर दे रहे हैं।

सभापति महोदय, जहां तक एक्सपोर्ट का प्रश्न है, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि पिछले वर्ष हमने यह तय किया कि इतना अन्न हमारे पास है कि हम इसका एक्सपोर्ट करें और पिछला साल पहला साल था जबकि भारत सरकार ने विश्व के बाजार में as an exporter प्रवेश किया और इस साल के लिए हमने यह टारगेट तय किया था कि हम 50 लाख टन व्हीट और 30 लाख टन चावल एक्सपोर्ट करेंगे। इस तरह कुल मिलाकर हमने 80 लाख टन अनाज एक्सपोर्ट करने का टारगेट तय किया था। उस समय सबको लगा था कि शायद हम यह टारगेट ऐचीव नहीं कर सकेंगे। मैं माननीय सदन को बताना चाहता हूं कि भारत के विभिन्न PSUs ने, प्राइवेट एक्सपोर्टर्स ने और सरकार ने जो प्रयत्न किए, उनका परिणाम यह है कि 80 लाख टन अनाज के एक्सपोर्ट के टारगेट में से इस समय तक हम 72.71 लाख टन अनाज एक्सपोर्ट कर चुके हैं। भारत जैसा देश, जो कुछ समय पहले तक अनाज इंपोर्ट करता था, आज वह अनाज एक्सपोर्ट कर रहा है, यह उसके लिए बड़े गौरव की बात है। हम 16 देशों में अपना अनाज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। विश्व में 27 देश हैं जो फूडग्रेन्स एक्सपोर्ट करते हैं और 27 देशों में भारत का स्थान सातवां हो गया है और मुझे विश्वास है कि 31 मार्च तक ये जो थोड़े से दिन बचे हैं, उनमें हम 80 लाख टन का टारगेट अवश्य पूरा कर लेंगे।

श्री रमा शंकर कौशिक: सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के "ख" भाग का जवाब दिया है कि "प्रश्न नहीं उठता"। महोदय, प्रश्न यह था कि वर्ष 2002-03 के दौरान बासमती चावल की कितनी मात्रा निर्यात किए जाने का अनुमान है? मंत्री जी ने कहा कि प्रश्न नहीं उठता। महोदय, पूछा यह जा रहा है की बासमती चावल कि कितनी मात्रा निर्यात किए

जाने का लक्ष्य है? माननीय मंत्री जी ने यह उत्तर तो दिया है कि कोई कीमत निर्धारित नहीं है लेकिन इनके उत्तर में जो इन्होंने कहा है कि "प्रश्न नहीं उठता", उससे लगता है कि बासमती चावल का कोई निर्यात नहीं किया जा रहा है और उसके निर्यात पर रोक है।

मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे यह स्पष्ट करें कि बासमती चावल के निर्यात पर कोई रोक है या नहीं और बासमती चावल कितना निर्यात किया गया और आगे के लिए बासमती चावल के निर्यात का कितना लक्ष्य रखा गया है? इस वर्ष का लक्ष्य तो माननीय मंत्री जी ने बता दिया है, लेकिन आगे का लक्ष्य क्या है?

श्री शांता कुमारः सभापति जी, सब प्रकार के चावल निर्यात करने का लक्ष्य कुल मिलाकर 30 लाख टन हमने रखा था जिसमें से इस समय तक हम 20 लाख 8 हजार टन एसपोर्ट कर चुके हैं। चावल के एक्सपोर्ट पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है।

श्री रमा शंकर कौशिकः बासमती चावल के बारे में बताइए।

श्री शांता कुमारः बासमती चावल के निर्यात पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है, अब तो सब प्रकार के प्रतिबंध हटा लिए गए हैं, जो क्वांटेटिव रिस्ट्रिक्शंस थीं, वह भी हटा ली गई हैं।

श्री रमा शंकर कौशिकः मैं यह जानना चाहता हूं कि कितना बासमती चावल एक्सपोर्ट किया गया और आगे का लक्ष्य क्या है?

श्री शांता कुमारः अकेले बासमती चावल के निर्यात की फिगर्स तो मेरे पास नहीं हैं ...(व्यवधान)

श्री दीपांकर मुखर्जीः इस बात पर ताली क्यों नहीं बजा रहे हैं? अब ताली कौन बजाएगा बड़ा स्पैसिफिक क्वश्चिन है...(व्यवधान) 15 दिन पहले का प्रश्न है लेकिन जवाब नहीं आया है। अब ताली कौन बजाएगा?

MISS MABEL REBELLO: Sir, the hon. Member has put a very specific question on the export of basmati rice. We want a specific answer, ...(*Interruptions*)...

SHRI RAMACHANDRA KHUNTIA: Sir, the Minister is trying to divert...(*Interruptions*)...

MISS MABEL REBELLO: He is misleading the House. ...(*Interruptions*)...

श्री दीपांकर मुखर्जीः कहां गए ताली वाले ...(**व्यवधान**)

श्री शांता कुमारः सभापति जी, इस साल 8 लाख टन बासमती चावल का एक्सपोर्ट हुआ है।

डा॰ कर्ण सिंहः सभापति महोदय, यह प्रश्न तो बासमती के संबंध में है लेकिन माननीय मंत्री महोदय ने अपने जवाब में यह बात कही कि हमारे भंडार भरे हुए हैं। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे किसान भाइयों और बहनों की मेहनत और मशक्कत की वजह से आज हमारे भंडार लाखों टन अनाज से भरे हुए हैं। लेकिन आज भी हमारे देश में लाखों या करोड़ों लोग भूखे सोते हैं। यह विडम्बना कैसे दूर होगी? पहले तो हमारे यहां अनाज कम था तो हम कहते थे कि अनाज बाहर से मंगवाते हैं। अब हमारा अनाज बढ़ गया, निर्यात बढ़ गया, हमारे किसानों ने सारे देश में कमाल कर दिया। लेकिन आज भी लोग भूखे हैं, सबसे अधिक मैल-न्यूट्रिशन में अगर आप देखेंगे, ह्यूमेन डेवलपमेंट इंडेक्स, न्यूट्रिशन में भारतवर्ष का नम्बर नीचे आता है। तो क्या यह सरकार कोई ऐसी योजनाएं निकालेगी कि जिसके साथ यह सारे भंडार, बजाए इसके कि अन्न चूहे खाएं और वह गोदामों में सड़ता रहे, वह गरीब लोगों के पास पहुंचे और उनकी कुछ सेहत बने?

श्री शांता कुमारः सभापति जी, पिछले दो वर्षों में इस प्रकार की योजनाएं एक नहीं अनेक बनाई गई थीं। सबसे पहली बात यह है कि 36 करोड़ गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को सस्ते भाव पर जो दस किलो अनाज दिया जाता था उसको बढ़ाकर 25 किलो कर दिया गया है। पांच करोड़ अति गरीब लोग ...(**व्यवधान**)

श्री संघ प्रिय गौतमः पहले जवाब सुनें।

श्री शांता कुमारः पांच करोड़ अति गरीब लोग, जिनको 1997 के सेंपिल सर्वे में यह कहा था कि 5 करोड़ लोग इस देश में ऐसे हैं, जो इतने गरीब हैं कि लगभग भूखे सोते हैं, उन 5 करोड़ लोगों के लिए अन्त्योदय अन्न योजना शुरू हो गई और 95 लाख परिवारों को आज इस देश के अंदर दो रुपए किलो गेहूँ तीन रुपए किलो चावल दिया जा रहा है। फूड, फॉर वर्क का कार्यक्रम शुरू हो गया है। लगभग 5 हजार करोड़ रुपए का 50 लाख टन अनाज केन्द्र सरकार राज्यों को विभिन्न कार्यक्रम शुरू करने के लिए बिल्कुल मुफ्त दे रही है। माननीय सदस्य ने ठीक कहा कि कठिनाई क्या है; बी॰पी॰एल॰ में जितना एलोकेशन सस्ते भाव पर करते हैं उसका आफ-टेक 46 परसेंट है। मैं सारे प्रदेशों में सभी मुख्यमंत्रियों को बार-बार कह रहा हूं कि आप सौ परसेंट लिफ्ट क्यों नहीं करते। कुछ माननीय सदस्य कहेंगे

कि भाव अधिक है। मैं उसका जवाब देना चाहता हूं कि भाव अधिक ही केवल इसका कारण नहीं है। सभापति जी, हम विभिन्न योजनाओं में जितना अन्न एलोकेट करते हैं ...(व्यवधान) पहले आपको मेरी बात सुननी होगी। ...(व्यवधान)

जितना एलोकेशन हम करते हैं वह पूरा का पूरा राज्य सरकारें नहीं उठा रही हैं। इतना ही नहीं मिड-डे मील में, उनको हम बिल्कुल मुफ्त अनाज देते हैं, लेकिन वह भी राज्य सरकारें नहीं उठाती हैं। तो इसमें हमारा कसूर क्या है। आज हालत यह है कि जितने अन्न का एलोकेशन हमने किया है उतना राज्य सरकारें उठा नहीं रही हैं। कुछ राज्य सरकारें ऐसी हैं जो 90 प्रतिशत उठाती हैं। अगर कोई राज्य सरकार 100 परसेंट आफ-टेक करती है तो बाकी क्यों नहीं उठाती?

*163. [*The questioner (Shri Amar Singh) was absent. For answer* See page 23 *infra*.]

Procurement of Paddy at MSP

*164. DR.DASARI NARAYANA RAO: Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) the paddy production in Andhra Pradesh during the season of 2001;

(b) whether the entire paddy offered in the State was procured by the Government agencies at the Minimum Support Price;

(c) if not, how much quantity was procured and how much could not be procured; and

(d) what action Government have taken to procure the remaining paddy so that growers do not resort to distress sale in the State?

THE MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI SHANTA KUMAR): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) According to the information received from the Ministry of Agriculture, the production of paddy in Andhra Pradesh during the Crop Year 2000-2001 was 171.72 lakh tonnes.

(b) to (d) During the Kharif Marketing Season (KMS) 2000-01, it was decided, in consultation with the State Government, that 10 lakh